मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 182-/1773/2019/58/ भोपाल, दिनांक 01.02.2020

प्रति,

1. पदाभिहित अधिकारी (उप/सहायक संचालक उद्यान),
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी (संबंधित विभाग संयुक्त संचालक उद्यान)
3. द्वितीय अपीलीय अधिकारी (संचालक, उद्यानिकी)

विषयः- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग की सेवा क्रमांक 46.2 बीज़ अधिनियम 1983 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करने के संबंध में कण्डिका क्रमांक-5 एवं 9 में संशोधन बावत।

संदर्भः- विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक 128/2019/58 दिनांक 29.01.2019.

-000-

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के द्वारा विभाग की सेवा क्रमांक-46.2 बीज अधिनियम 1983 अंतर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने एवं नवीनीकरण के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. आवश्यक दस्तावेज बिन्दु क्रमांक-5.1 नवीन दस्तावेज अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु क्रमांक-3 कृषि स्नातक उपाधि की सत्यापित छायाप्रति की शर्त को विलोपित किया जाता है।
2. शुल्क बिन्दु क्रमांक-9.1 अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु राशि रूपये 50/- के स्थान पर रूपये 1000/- पढ़ा जावे।
3. बिन्दु क्रमांक-9.2 तीन वर्ष की अवधि के पश्चात नवीनीकरण हेतु राशि रूपये 20/- के स्थान पर रूपये 500/- पढ़ा जावे।

(वर्षा भूरिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

DD 4/2/2020

क्रमांक 183/1773/2019/58/

प्रतिलिपिः- भोपाल, दिनांक 01.02.2020

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्यमंत्री के सचिव मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
3. सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण भोपाल मध्यप्रदेश।
6. NIC मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि परिपत्र वेबसाइट पर अपलोड की कार्यवाही करें।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग